

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
343 / 2023

दायर दिनांक  
03.10.2023

निर्णय दिनांक  
26.02.2024


## उनवान

1. अम्बा लाल पुत्र श्री मांगू गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. बरजी पत्नी स्व० श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. नानू पुत्री श्री हीरा गाडरी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. भूरा लाल पुत्र श्री हीरा गाडरी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. लादू लाल पुत्र श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. संगीता पुत्री श्री हीरा गाडरी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सोसर पुत्री श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. हेमा पुत्री श्री हीरा गाडरी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

## बनाम

1. मांगी लाल पुत्र श्री बगतावर गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नोजी पत्नी श्री फत्ता गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. परसा पुत्र श्री जस्सा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नन्द लाल पुत्र श्री चतरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

5. जमना दत्तक पुत्र श्री दयाराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
6. सुरसुरा पुत्र श्री बक्षु गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी- हलेड तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

-विपक्षीगण

उपरिस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड प०ह० हलेड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 36 की अभिलिखित आराजियात 460 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0506 एवं खाता संख्या 1023 की अभिलिखित आराजियात 461/1 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई रथाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर रथाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।



**उपखण्ड अधिकारी**  
भीलवाडा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड ५०८० हलेड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् २०६९-२०७३ के खाता संख्या ३६ की अभिलिखित आराजियात ४६० कुल किता ०१ कुल रकबा ०.०५०६ एवं खाता संख्या १०२३ की अभिलिखित आराजियात ४६१/१ रकबा ०.११३८ हैक्टियर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को १०००-०० अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी १५ दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थोगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक २६.०२.२०२४ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा